(मित्र)

मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय भोपाल.

क्र./बी–15–20/2019/14–2 भोपाल,दिनांक 01 अप्रेल, 2019

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
   भोपाल.(म.प्र.)
2. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ,
   जहांगीराबाद भोपाल-(म.प्र.)

विषयः– रबी विपणन वर्ष 2019–20 में ई–उपार्जन योजना अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को उपार्जन केन्द्रों पर मुख्यमंत्री कृषक भोजन योजना का लाभ देने के संबंध में।

0000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर रबी एवं खरीफ फसलों का उपार्जन समर्थन मूल्य में किया जाता है। उपार्जन केन्द्रों में कृषि उपज लेकर आने वाले कृषको को मुख्यमंत्री कृषक भोजन योजना का लाभ दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय निर्णय लिया गया है। योजना अनुसार उपार्जन केन्द्रों पर ही कृषकों को भोजन कराये जाने हेतु प्रति कृषक रूपये 10/– (रूपये दस मात्र) तथा प्रत्येक कृषक के एक साथी को भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की निधि से अनुदान व्यय करने की स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. रबी विपणन वर्ष 2019–20 में गेंहूँ का उपार्जन 25 मार्च 2019 से प्रारम्भ हो रहा है। इस हेतु उक्त योजना में अनुदान व्यय 25.03.2019 से ही मान्य किया जायेगा।
2. योजना का लाभ मध्यप्रदेश राज्य के पंजीकृत कृषकों को उपार्जन केन्द्रों पर उपज लाने पर ही दिया जायेगा।
3. राज्य सरकार द्वारा ई–उपार्जन हेतु गेहूँ, चना, मसूर, सरसों (कुल चार जिन्सों) को शामिल किया है उपार्जन केन्द्रों पर उक्त चार जिन्सों के विक्रय हेतु आने वाले कृषकों को ही योजना का लाभ दिया जायेगा।
4. जो उपार्जन केन्द्र कृषि उपज मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में संचालित होगें उनके लिये भोजन व्यवस्था संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा अनुबंधित ठेकेदार भोजन व्यवस्था करेगें।
5. जो उपार्जन केन्द्र मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण के बाहर संचालित होगें उनमें भोजन व्यवस्था के लिये नोडल ऐजन्सी ठेकेदार को चयनित/अनुबंधित करेगी।
6. भोजन व्यवस्था के लिये (मण्डी समिति द्वारा अनुबंधित ठेकेदार), नोडल एजेन्सी द्वारा चयनित/अनुबंधित ठेकेदार को अनुदान व्यय का भुगतान करने की पूर्ण जिम्मेदारी नोडल एजेन्सी (मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ) की होगी। किसी भी संबंधित ठेकेदार द्वारा देयक की राशि भुगतान के लिये सीधे मण्डी समिति/मण्डी बोर्ड को कोई भी पत्र व्यवहार देयक प्रस्तुत नहीं किये जायेगें।

01/4/19

7. उपरोक्त समस्त देयकों का विवरण संपूर्ण जिलों का नोडल एजेन्सी (मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ) मुख्यालय भोपाल में संकलित कर प्रबंध संचालक सह आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को प्रेषित करेगें। किसी भी जिले का पृथक से देयक विवरण मण्डी बोर्ड भोपाल द्वारा स्वीकृत/मान्य नहीं किया जायेगा। एकजाई व्यय विवरण प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल, माननीय मंत्रीजी सह अध्यक्ष मण्डी बोर्ड भोपाल के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत ही देयक राशि का भुगतान नोडल एजेन्सी (मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ) को किया जायेगा।

8. उक्त योजना में कृषकों के भोजन के लिये संलग्न प्रारूप में लेखा/जोखा संबंधित नोडल एजेन्सी के उपार्जन केन्द्र प्रभारी/नोडल अधिकारी उपार्जन केन्द्र (उपार्जन केन्द्रवार, दिनांकवार, जिलावार) द्वारा तैयार किया जायेगा। संलग्न प्रारूप में उपार्जन केन्द्र प्रभारी/नोडल अधिकारी उपार्जन केन्द्र अपने संबंधित जिले के वरिष्ठ जिला अधिकारी के माध्यम से व्यय का विवरण अपने प्रबंध संचालक (मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ) मुख्यालय भोपाल को प्रेषित करेगें।

9. उक्त भोजन योजना के वास्तविक व्यय/देयक का भुगतान नोडल एजेन्सी (मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ) द्वारा अपने संबंधित जिला अधिकारियों को किया जायेगा। मण्डी बोर्ड द्वारा किसी भी नोडल एजेन्सी को अनुमानित व्यय का अग्रिम भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

10 उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल अपनी निधि से योजना में व्यय राशि का बजट का भुगतान करेगी।

11. योजना में कृषक भोजन कराने वाले अनुबंधित/चयनित ठेकेदार व्यय का भुगतान करने के लिये संबंधित नोडल एजेन्सी (मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ) को ही प्रस्तुत करेगें। कोई भी आपत्ति निराकरण के लिये मण्डी बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

01/4/19

(प्रकाश कुमार माखीजा)
पदेन अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्र./ बी–15–20/2019/14–2 भोपाल,दिनांक 01 अप्रेल, 2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. मुख्यसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल.
2. प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन भोपाल.
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल.
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन खाद्य विभाग मंत्रालय भोपाल.
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल.
7. आयुक्त, ...संभाग................................ ।(समस्त)
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 26 अरेरा हिल्स भोपाल.
9. कलेक्टर जिला..................................(समस्त) म.प्र.।

01/4/19

पदेन अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

समर्थन मूल्य के उपार्जन केन्द्रों में मुख्यमंत्री कृषक भोजन योजना के व्यय का भुगतान/प्रतिपूर्ति हेतु प्रपत्र

क्रमांक	उपार्जन केन्द्र का नाम/तहसील/जिला	उपार्जन केन्द्र जिस मण्डी क्षेत्र अंतर्गत स्थित है उस मण्डी का नाम एवं जिला	उपार्जन दिनांक	उपार्जन केन्द्र अनाज विक्रय हेतु आये कृषकों के नाम/पता/मो.नं.	कृषकों का पंजीयन क्रमांक	जिन्स का नाम तथा मात्रा क्विंटल में।	कृषको को जारी भोजन कूपन क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				उपार्जन दिनांक को भोजन करने वाले कृषकों की कुल संख्या		उपार्जित जिन्स की कुल मात्रा	कृषको को जारी भोजन कूपन की कुल संख्या	कुल राशि

नोडल अधिकारी उपार्जन केन्द्र
........................जिला...................(म.प्र.)

उपार्जन केन्द्र प्रभारी
........................जिला...................(म.प्र.)